न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04/2018
RCMS Case Reg. 2018/00002

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री सुन्दरलाल पिता रामलाल गेहलोत।
2. श्रीमती गणेशीदेवी पत्नी सुंदरलाल।
3. श्री तिलक पिता सुन्दरलाल गेहलोत।
4. श्री राजेन्द्र पिता सुन्दरलाल गेहलोत।
5. श्रीमती कनकलता पत्नी तिलक गेहलोत।
6. श्रीमती संतोष पत्नी राजेन्द्र गेहलोत जाति नाई निवासीयान बांसवाड़ा (राज0)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री विठला पिता मेघा भील।
2. श्री देवा पिता मेघा भील।
3. श्री पुनिया पिता मेघा भील।
4. श्री हवजी पिता मेघा भील निवासीयान धामनिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
5. श्री नाथु पिता हकरीया भील निवासी कुवानिया हाल धामनिया तहसील व जिला बांसवाड़ा
6. तहसीलदार जरिये भू–अभिलेख निरीक्षक, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री रमेश रावल,
–अभिभाषक (अपीलार्थी)

श्री योगेश सोमपुरा
–राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31–08–2004 बमुकद्मा 14/04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा तहसीलदार, बांसवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 15–05–2018

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 28–09–2004 को अपील दर्ज रजिस्टर हुई। अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या पुरानी 113 एवं नई 144 में आराजी सर्वे नं. 229 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम जानावारी प.ह. लोधा में स्थित है। इस आराजी के बकाया भाग पर वर्ष 1972–73 में बांसवाड़ा से उदयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग निकाला है। इस नये मार्ग के स्थापित होने से पूर्व एक पक्का मार्ग सार्वजनिक उपयोग हेतु बांसवाड़ा से उदयपुर तरफ आवागमन हेतु प्रयोग किया जा रहा था, जिसका इन्द्राज सेटलमेंट नक्शे में भी है, जिसमें सर्वे नम्बर 228, 107, 224 इत्यादि सेटलमेंटी मार्ग के रूप में दिखाए गए हैं, स्थित था। यह मार्ग सर्वे नम्बर 229 व 210/103, 104, 106 के मध्य होता हुआ सेटलमेंट के रेकार्ड में

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर

स्थापित है। नया मार्ग वर्ष 1973 में न्यूनतम पद्धत्ति से भवर एवं पथ विभाग द्वारा निर्मित करवाने में यथासम्भव मार्ग में आने वाले मोड़ को कम करने के आशय से आराजी सर्वे नं. 210, 104, 106 और 229 के बीच आने वाले मार्ग के क्षेत्र 228 व 107 सर्वे नम्बर के मार्ग को नया मार्ग 229 में से भूमि अवाप्त कर निर्माण कर दिये जाने से बन्द कर दिया, जिसका उपयोग वर्ष 1973 से आज तक अनवरत रूप से किसी निजी व्यक्ति द्वारा या सार्वजनिक रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है और उपयोग किया जाना सम्भव भी नहीं है। जो सेटलमेंटी मार्ग दर्शाया गया था, को बन्द कर दिए जाने पर इस मार्ग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर श्री देवा, हकजी, पुनिया, होकमा इत्यादि ने अपने पक्के मकान निर्मित कर लिये हैं और बन्द हुए रास्ते के एक तरफ जहां से आराजी नं. 229 की सीमा शुरू होती है, माही के सिंचाई विभाग द्वारा कृषि कार्य के लिए पानी पिलाने के आशय से डिस्ट्रीब्यूटरी पक्की नहर का निर्माण किया गया है। इस निर्माण में विभाग द्वारा किसी खातेदार की भूमि को अवाप्त नहीं किया है। इस निर्मित नहर से करीब डेढ फीट जगह छोड़ कर अपीलाण्ट ने अपने खेत आराजी नम्बर 229 की पक्की बाउण्ड्री बनाने की स्वीकृति तहसीलदार, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 4705–06 दिनांक 29–12–1992 के अनुरूप पूरे सर्वे नम्बर का पक्की बाउण्ड्री का निर्माण करवाया था। निर्माण कराते समय सम्बन्धित पटवारी से अपीलार्थीगण ने अपने खेत की निशादेही करवा कर तथा पूर्व से सिंचाई विभाग द्वारा सेटलमेंट में दर्ज मार्ग के किनारे पर आराजी नम्बर 229 की सीमा पर निर्मित नहर से भी करीब डेढ फीट हट कर दिवार का पक्का निर्माण करवाया था। वर्ष 1992 में निर्मित उक्त दिवार वर्ष 2004 में कई जगह गिर कर खूर्दबूर्द हो गई। पुनः पक्का निर्माण करवाना आवश्यक होने से तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 25–03–2004 को प्राप्त की और अपीलाण्ट ने अपने खेत के चारों तरफ स्वीकृति के अनुरूप पूर्व से बनी दिवार के स्थान पर ही पुर्ननिर्माण करवा दिया है।

वर्ष 1992 से 2004 के बीच बांसवाड़ा शहर की आबादी के विस्तार के कारण उदयपुर रोड़ पर जमीनों की किमतें उंची हो गई। नया मार्ग निकल जाने से अपीलाण्ट की जमीन नये मार्ग पर आ गई, किन्तु आराजी सर्वे नं. 104, 106, 210/103 व 100, 89, 98 इत्यादि मुख्य मार्ग से पीछे रह गये। जमीनों का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों द्वारा पीछे स्थित उक्त आराजीयान, जो कि आदिवासियों के नाम पर है, का सौदा कर आराजी नं. 104 का विक्रय नाथू निवासी कुवानिया के नाम कर दिया। अब आराजी नं. 104 का पूर्व स्वामी देवा उक्त जमीन पर व्यवसाय करने वाले बांसवाड़ा के सवर्ण व्यक्ति का बेनामी खातेदार नाथू ने मिल कर भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार से सांठ–गांठ कर अपीलाण्ट के विरूद्ध तहसीलदार, बांसवाड़ा ने 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार कार्यवाही संस्थित कर दी, जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बगैर तहसीलदार ने पक्षपात पूर्ण तरीके से अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा सुनवाई कर दिनांक 31–08–2004 को अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है, जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश दिया गया है कि गठित दल द्वारा मौका पर्चा प्रदर्श–10 उदयपुर–बांसवाड़ा मुख्य मार्ग से ग्राम धामनिया की ओर जाने वाले तथाकथित 20 फीट चौड़े रास्ते पर जो कि सर्वे नं. 224 व 228 व ग्राम धामनिया के सर्वे नंबर 107 किस्म भूमि सेटलमेंटी रास्ता श्री सरकार की भूमि पर मौका पर्चा में बताई गई बाउण्ड्रीवाल को तुड़वाया जाकर रास्ते की भूमि के अवरोध को हटाने के आदेश दिये गये हैं।

D.M. Dicision 2016.doc

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

धारा 251 के अधीन किसी खातेदार द्वारा खेतों पर जाने के लिए रास्ता जो पूर्व में चालू था, उसे विधि विहित प्रणाली से या भिन्न तरिकों से रोक दिया हो तो उसे पुनः खुलवाया जा सकता है। न कि, आम रास्ता। प्रस्तुत प्रकरण में जिस रास्ते पर विवाद होना बतािया गया है, वह रास्ता सेटलमेंट रेकार्ड में बांसवाड़ा से उदयपुर तरफ सेटलमेंट के समय से चला आ रहा रास्ता है। आराजी नं. 107, 228, 224 सेटलमेंट रास्ते के अन्दर आने वाले क्ष्ज्ञेत्र के सर्वे नम्बर हैं। इन सर्वे नम्बरों पर किसी काश्तकार का अधिकार नहीं है। यह सेटलमेंटी रास्ता आम सार्वजनिक रास्ता था, जो वर्ष 1972–73 में भवन एवं पथ विभाग द्वारा रास्ते को वैज्ञानिक तरीके से बनाने के सिलसिले में आराजी नं. 229 में से भूमि अवाप्त कर निकाला गया, जिसके परिणाम स्वरूप आराजी नं. 228 व 107 रास्ते के रूप में दर्शाये गये सेटलमेंट के रेकार्ड के अनुसार क्षेत्र को बन्द कर दिया गया है, और वर्ष 1973 से यह रास्ता उपयोग में नहीं आ रहा है। इस रास्ते के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो उसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार ग्राम पंचायत में निहित नहीं होता है और ऐसे विवाद का निपटारा धारा 251 में नहीं किया जा सकता। तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों में अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर जो निर्णय दिया गया है, वह क्षैत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251 में प्रावधान है कि यदि एक खेत से दूसरे खेत पर किसी कृषक के कृषि कार्य हेतु आने–जाने के निजी सुखाधिकार, जो कि वर्तमान में चालू हैं, के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अवरोध पैदा कर दिया गया हो तो ऐसे अवरोध को हटा कर धारा 251 रा.का.का.अ. के अन्तर्गत तत्काल खुलवाने के अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हैं। यदि ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन के अन्दर कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जाती है तो तहसीलदार यह कार्यवाही अपने विचारार्थ अपने पास मंगवा सकता है। यदि आवेदन सीधा ही किसी पक्षकार द्वारा तहसीलदार को पेश किया गया हो तो तहसीलदार अपने कार्यालय में सम्बन्धित रजिस्टर में इन्द्राज कर कार्यवाही व निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेज देगा। ऐसे प्रावधान 251 रा.का.का.अधि. में निर्धारित हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने प्रकरण भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पर दिनांक 19–06–2004 को दर्ज किया है। इस प्रकार तहसील कार्यालय का भू–अभिलेख निरीक्षक स्वयं प्रार्थी के रूप में होने से तहसीलदार इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर निर्णय पारित करने के लिए सक्षम न्यायालय नहीं था।

तहसीलदार के नोटिस की तामील होने पर दिनांक 30–06–2004 को अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। इसी दिन तहसीलदार, बांसवाड़ा ने विस्तृत रूप से मौका एवं रिकार्ड से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त करने के आशय से एक दल का गठन किया, जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, पटवारी हल्का सागड़ोद, पटवारी हल्का लोधा व पटवारी हल्का बांसवाड़ा को जांच दल के रूप में नियुक्त किया। इस जांच दल के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई, और नक्शा बनाया गया, वह त्रुटिपूर्ण व तथ्यों को छुपा कर पक्षपात पूर्ण तरीके से बनाया गया। नक्शा मौका में किन्ही भी निष्पक्ष साक्षियों को नहीं बुलाया गया। मनमाने तरीके से अनुचित प्रभाव में रहते हुए यह कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट के वकील ने दल के द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विधि सम्मत आपत्तियां उठाई, जिसकी ओर ध्यान नहीं देकर तहसीलदार ने दिनांक 17–08–2004 की सुनवाई को दिनांक 19–08–2004 के लिए नियत रखा। 19–08–2004 को अपीलाण्ट के अभिभाषक तहसीलदार कार्यालय में दिन भर उपस्थित रहे, किन्तु तहसीलदार के दौरे पर रहने के दौरान उनकी अनुपस्थिति मे बगैर प्रोसिडिंग लिखे अपीलाण्ट्स की मौजुदगी में अभिभाषक को आगामी सुनवाई की तिथि

D.M. Decision 2016.doc

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

दिनांक 04–09–2004 रीडर, तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई। दिनांक 04–09–2004 पैरवी हेतु उपस्थित होने पर अपीलाण्ट्स व अभिभाषक को पता चला कि इस प्रकरण में तहसीलदार ने दिनांक 23–08–2004 की तारीख तय करवा कर अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक तरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 24–08–2004 को एक किसी देवा एवं नायब तहसीलदार व भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान लेकर दिनांक 31–08–2004 को निर्णय पारित कर दिया। जानकारी पर अपीलाण्ट के अभिभाषक ने दिनांक 04–09–2004 को तहसीलदार, बांसवाड़ा के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

जिस दिवार का निर्माण वर्ष 1992 में किया गया तथा उसी की मरम्मत वर्ष 2004 में किया जाना अतिक्रमण कैसे हो सकता है। यह आक्षेप निराधार व प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव व दबाव में डाला गया है। धारा 251 में कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता भू–अभिलेख निरीक्षक नहीं हो सकता। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करवाने का आशय मात्र आराजी नं. 104 के बेनामी खरीददार उस सम्पन्न व्यक्ति की कार्यवाही है, जिसने तहसील कार्यालय में गहराई तक अपनी जड़े कायम कर रखी हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत एक तरफा ली गई साक्ष्य पी.ड.–1 देवा, पी.ड.–2 श्री नन्दलाल बरगोट नायब तहसीलदार, पी.ड.–3 श्री डायालाल पाटीदार, आई.एल.आर. हैं। पी.डब्ल्यू. 1 देवा के बयान हैं कि उसने आराजी सर्वे नम्बर 104 की जमीन नाथु, कवानिया वाले का बेच दी है। यह भूमि जमीनों का व्यवसाय करने वाले सम्पन्न सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा बेनामी खरीदी गई है, साथ ही करीब 25–30 बीघा जमीन भी आदिवासियों की इस व्यक्ति ने खरीदने का अनुबंध कर रखा है। जब देवा द्वारा जमीन नाथु को बेच दी गई है, तो साक्ष्य में नाथु को क्यों पेश नहीं किया गया। नक्शा पंचनामा में वर्तमान में विद्यमान उदयपुर–बांसवाड़ा रोड़ को जानबुझ कर नही दर्शाया गया एवं तथा–कथित सेटलमेंट का रोड़ जो कि वर्ष 1973 से बन्द है की भूमि पर देवा, हकजी, पुनिया, होकमा ने अपने पक्के मकान बना लिये हैं, जिसका विवरण भी नक्शे में नहीं है। और न ही अपीलाण्ट के द्वारा निर्मित बाउण्ड्री वाल से डेढ फीट के करीब हट कर बाउण्ड्री के सहारे–सहारे सिंचाई विभाग की वर्षों पुरानी निर्मित डिस्ट्रीब्यूटरी नहर (नाली) का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार, बांसवाड़ा का प्रश्नगत आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण उनके प्रकरण संख्या 14/2004 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 31–08–2004 को निरस्त किया जाकर निर्णय की पालना को स्थगित रखे जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गए। श्री हीरालाल जैन, विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रकरण में श्री देवा, पुनिया, हवजी, नाथु व विठला को पक्षकार बनाया गया। अधिनस्थ न्यायायलय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोण्डेंट देवा की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां पेश करते हुए उल्लेख किया कि अपीलाण्ट द्वारा धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील पेश की गई है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है। उक्त अपील का प्रेजेन्टेशन प्रोपर नहीं है, तथा न ही उक्त अपील प्रोपर व्यक्ति द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गई है, इस कारण भी उक्त अपील काबिल निरस्ती है। अपील के इस प्रकरण को सव्यय निरस्त करने निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21–09–2018 को जिला कलक्टर स्वयं अथवा किसी अनुभवी राजस्व अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण कराए जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में मौके की जांच एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को नियुक्त किया गया, उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1526 दिनांक 31–05–2006 से मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

दिनांक 18–07–2006 को रेस्पोण्डेंट्स की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा की रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर पुनः जांच कर मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने निवेदन किया गया। रेस्पोण्डेंट्स का यह प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 16–11–2006 कि निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पत्रावली पर लिये जाने के आदेश जारी किए जाकर अन्तिम बहस हेतु पेशी दी गई।

इस आदेश के विरूद्ध रेस्पोण्डेंट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत की गई, जहां पर निगरानी/ टी.ए./ 8519/ 2006/ बांसवाड़ा उनवान विठला आदि बनाम सुन्दरलाल आदि में दिनांक 19–04–207 को निर्णय पारित किया गया कि विद्वान जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 16–11–2006 के द्वारा वर्तमान प्रार्थी की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि कमिश्नर से पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी आक्षेप अथवा आपत्ति अंकित नहीं की गई है, जिसके आधार पर कमिश्नर से पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। निगरानीधीन निर्णय विधि अनुसार तथा तर्क सहित पारित किया गया है, जिससे निगरानी के माध्यम से निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप निगरानी खारिज की गई।

पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते अन्तिम बहस पक्षकारान को नोटिस जारी किए गए। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रमेश रावल उपस्थित हुए। रेस्पोण्डेंट विठला, देवा, पुनिया, हवजी एवं नाथु बाद तामील नोटिस अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में दिनांक 04–05–2018 को अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 1526 दिनांक 31–05–2006 से मौका निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसे आधार मानते हुए अपील स्वीकार किए जान हेतु निवेदन किया।

हमने प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों, जवाब में अंकित तथ्यों, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया एवं बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31–05–2006 के अनुसार उनके द्वारा जांच दल गठित कर स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। विवादग्रसत स्थल, जहां मार्ग का विवाद बताया गया है, वह भूमि मौजा धामनिया एवं जानावारी की सरहद पर सेटलमेंट का रास्ता बताया गया है, उस पर अजजा व्यक्तियों के 10 मकान बने हुए हैं। नजरी नक्शे में दशाये गये क्षेत्र में मोहरम डाल रखा है, वर्तमान में पुनिया पिता मोगा भील के परिवार वाले आने–जाने के उपयोग में ले रहे हैं। आम रास्ते के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 229 रकबा 3 बीघा दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। उसका क्षेत्रफल 3 बीघा है। सर्वे नम्बर 228, 107 एवं 224 सेटलमेंटी मार्ग के रूप में दिखाये गये हैं, जो सर्वे नम्बर 229 व 210/103, 104, 106 के मध्य होता हुआ सेटलमेंट रेकार्ड में स्थापित है। वर्तमान सड़क को चौड़ा एवं मोड़ कम करने के आशय से नया मार्ग निकाला गया है, जो पूर्ण रूप से आराजी नम्बर 229 में से ही निकाली गई है। जिसका सर्वे नम्बर 373/299/2 रकबा 4 बीघा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से

दर्ज है। इस प्रकार सर्वे नम्बर 228 एवं 107 का सेटलमेंटी मार्ग सड़क के उपयोग में नहीं आ रहा है। नया मार्ग बनने से अपीलाण्ट के सर्वे नम्बर 229 की भूमि सड़क में नहीं गई है, मौके पर पूर्णतया प्रार्थी के कब्जे में 3 बीघा भूमि है। अपीलाण्ट ने आराजी नम्बर 229 की पक्की बाउण्ड्रीवाल नई सड़क की तरफ एवं पूर्व दिशा की तरफ ही बनाई है। सेटलमेंटी मार्ग पर प्रार्थी का कोई कब्जा/ बाउण्ड्री नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि के दक्षिण की तरफ उदयपुर मार्ग है, पूर्व दिशा में आराजी नं. 429/253/1/1 श्री तैयबअली पिता फजलेहुसैन बोहरा के नाम दर्ज है तथा ऊत्तर दिशा में सेटलमेंटी मार्ग आराजी नं. 228, 107 एवं उसके बाद मौजा धामनिया की कृषि भूमि आराजी नं. 103, 104, 106, 210/103, 229/106 है, जो खातेदारी में दर्ज है। उक्त खातेदारी की भूमि में कोई काश्त नही हो रही है। मौके पर पड़त एवं झाड़ियां उगी हुई हैं। मोहरम डाले गये स्थान पर ही आने–जाने के उपयोग में लिया जा रहा है। इसके अलावा का मार्ग आने–जाने के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

अपीलार्थी का यह कथन की पक्की बाउण्ड्री बनाने की स्वीकृति तहसीलदार, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 4705–06 दिनांक 29–12–1992 के अनुरूप पूरे सर्वे नम्बर का पक्की बाउण्ड्री का निर्माण करवाया था। निर्माण कराते समय सम्बन्धित पटवारी से अपीलार्थीगण ने अपने खेत की निशादेही करवा कर तथा पूर्व से सिंचाई विभाग द्वारा सेटलमेंट में दर्ज मार्ग के किनारे पर आराजी नम्बर 229 की सीमा पर निर्मित नहर से भी करीब डेढ फीट हट कर दिवार का पक्का निर्माण करवाया था। वर्ष 1992 में निर्मित उक्त दिवार वर्ष 2004 में कई जगह गिर कर खूर्दबूर्द हो गई। पुनः पक्का निर्माण करवाना आवश्यक होने से अपीलाण्ट ने अपने खेत के चारों तरफ स्वीकृति के अनुरूप पूर्व से बनी दिवार के स्थान पर ही पुर्ननिर्माण करवाया है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य के आराजी नं. 229 रकबा 3 बीघा पर बाउण्ड्री वाल बनाई गई है। मोहरम डाले गये स्थान से पुनिया के परिवार वाले आना जाना करते हैं, आम रास्ते के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, बांसवाड़ा को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, बांसवाड़ा को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा